सं0– / II–2018–04(04)/2017

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभिन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक, 6 सितम्बर, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग मद के अन्तर्गत योजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1321/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 16 जुलाई, 2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उल्लिखित पत्र द्वारा राज्य सैक्टर रीवर ट्रेनिंग मद के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गयी योजनाओं के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 71.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजनाओं पर निम्न विवरणानुसार कुल रू0 38.98 लाख (रू0 अडतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	योजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड सितारगंज में स्थित गैगुज नदी से मिट्टी/सिल्ट हटाये जाने का कार्य	34.00	15.00
2	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में नाचनी कस्बे के समीप हरिडया नाले पर बने पुल के अपस्ट्रीम में भूस्खलन से आये मलवे को हटाने की योजना	27.29	14.07
3	Flood Protection work in Chanda, Dokhri Village Bhankoli Blodi Naugon Destrict Uttarkashi	9.91	9.91
	योग	**71.20**	**38.98**

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(vii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–06–राज्य सैक्टर पोषित रिवर ट्रेनिग–24–वहृद निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 363/XXVII(2)/2018, दिनांक 30 अगस्त, 2018 में प्राप्त सहमति के कम निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संख्या– 1406 (1)/II–2018–04(04)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड कोलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिह)
संयुक्त सचिव